आदेश की क्रम–संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी,तारिख सहित 3
05/8/16	**आदेश** ऑगनवाड़ी अपील वाद संख्या– 43/15–16 अरूणा कुमारी बनाम् जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं अन्य का मामला जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बांका के आदेश ज्ञापांक–913 दिनांक–17.07.2015 के विरूद्व दायर किया गया है। यह विवादित मामला परियोजना फुल्लीडुमर के आंगनवाड़ी केन्द्र सं0– 62 पथड्डा से संबंधित है तथा इस केन्द्र पर यशोदा देवी को आंगनवाड़ी सेविका में चयनित होने के विरूद्व जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बांका के समक्ष अरूणा कुमारी द्वारा आवेदन दिया गया जिसे अस्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप यहॉ अपील दायर किया गया है। इस संबंध में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बांका से LCR एवं प्रत्युत्तर की मांग की गई। उनसे LCR एवं प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ है। निर्धारित तिथि पर सुनवाई की गई। अपीलार्थी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि आंगनवाड़ी केन्द्र सं0– 62 (पूर्व केन्द्र सं0– 1) के लिए सेविका में चयन हेतु फरवरी– 2007 में आवेदन दिया था। मेघा सूची में वो प्रथम स्थान पर थी लेकिन मेघा सूची के दूसरे स्थान वाली अभ्यर्थी यशोदा कुमारी का चयन किया गया। फलस्वरूप जिला पदाधिकारी, बांका को आपत्ति दी गई एवं आपत्ति के आलोक में जिला पदाधिकारी, बांका के आदेश– 637(क) दिनांक– 26.06.2007 के द्वारा चयनित सेविका यशोदा देवी के चयन को रद्द कर पुनः चयन हेतु आम–सभा दिनांक– 11.07.07 को करने का आदेश दिया गया परन्तु जानबुझकर इस आम–सभा को स्थगित किया गया। पुनः चयन हेतु आम–सभा दिनांक– 19.07.2007 को निर्धारित किया गया जिसमे यशोदा कुमारी द्वारा आम–सभा में अशांति पैदा कर आम–सभा को स्थगित कराया गया। फिर चयन हेतु आम–सभा दिनांक– 02.08.2007 को रखा गया लेकिन यशोदा कुमारी के मेल में आकर आम–सभा स्थगित की गयी। आगे तथ्य यह रखा गया कि जिला पदाधिकारी, बांका के आदेश ज्ञापांक– 637(क) दिनांक– 26.06.2007 द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्र– 62 पथड्डा रद्द होने के वाबजूद बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, फुल्लीडुमर द्वारा चयन रद्द होने के वाबजूद सेविका यशोदा कुमारी का खाता यूको बैंक, फुल्लीडुमर में दिनांक–20.07.2007 को खुलवाया गया एवं दिनांक– 13.12.2007 को 7000/– रू0 चेक निर्गत की गई। जिला पदाधिकारी, बाका के आदेश के वाबजूद यशोदा कुमारी के खाता में पोषाहार एवं मानदेय की राशि, शक्ति का दुरूपयोग कर दी गई। अपने बहस को बढ़ाते हुए यह भी कहा गया कि वर्ष– 2010 तक चयन स्थगित रहा। पुनः नये सिरे से 2012 में आवेदन लेकर सेविका का चयन करना चाहा। पुनः सेविका चयन हेतु 2013 में भी आवेदन लिया गया जिसमें अपीलार्थी द्वारा आवेदन के साथ सहायिका का अनुभव प्रमाण–पत्र दिया परन्तु बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, फुल्लीडुमर द्वारा मेघा सूची में अपीलार्थी का कुल प्रतिशत अंक में सहायिका का 05 अंक जोड़े बिना यशोदा कुमारी का चयन किया गया। इस संबंध में मार्गदर्शिका–2011 के प्रावधानों का उल्लेख किया गया एवं कहा गया कि दिनांक– 24.11.2014 को धारा–80 C.P.C का वकालतन नोटिस भी देते हुए मार्गदर्शिका– 2011 का पालन कर चयन करने का आग्रह किया लेकिन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा अवैध तरह से आम–सभा कर सेविका का चयन किया गया जबकि आवेदन वर्ष– 2013 में हीं लिया गया था। यशोदा कुमारी के शैक्षणिक प्रमाण–पत्रों का सत्यापन भी नहीं कराया गया है। अपीलार्थी द्वारा उक्त सभी बातों को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बांका के समक्ष रखा गया था परन्तु मामले का गहन अध्ययन किये बिना सरकारी नियमों–निर्देशों का उल्लघंन कर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बांका द्वारा अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकृत किया गया जो न्यायसंगत नहीं है। फलस्वरूप जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बांका के आदेश के विरूद्व इस न्यायालय में अपील दायर किया है।	

उपर्युक्त तथ्यों को रखते हुए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बांका के आदेश ज्ञापांक– 913 दिनांक– 17.07.2015 को निरस्त करने एवं अपील आवेदन स्वीकृत करने की प्रार्थना विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया गया।

प्रस्तुत मामले में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बांका से प्रतिवेदन एवं कागजात प्राप्त है। अपने प्रतिवेदन में उन्हीं तथ्यों का जिक्र किया है जो उनके आदेश ज्ञापांक– 913 दिनांक– 17.07.2015 में है। कोई विशिष्ट तथ्य प्रतिवेदित नहीं किया गया है।

बहस के आलोक में अभिलेख का परीक्षण किया गया। अपीलार्थी ने साक्ष्य दाखिल किया है कि तत्कालिन जिला पदाधिकारी, बांका के आदेश ज्ञापांक– 637(क) दिनांक–26.06.2007 के आलोक में आंगनवाड़ी केन्द सं0– 62 (पूर्व केन्द्र सं0–1) पथड्डा का चयन रद्द होने के बावजूद यशोदा कुमारी का खाता दिनाक– 20.07.2007 को खुलवाया गया एवं दिनांक– 13.12.2007 को यशोदा कुमारी के नाम से 7,000/– रू0 का चेक बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, फुल्लीडुमर द्वारा दिया गया है। यशोदा कुमारी का आंगनवाड़ी केन्द्र से संबंधित यूको बैंक, फुल्लीडुमर के पासबुक के खाता सं0– 4007/35 एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, फुल्लीडुमर द्वारा यशोदा कुमारी के नाम से दिनांक– 13.12.2007 को निर्गत चेक की छाया–प्रति अपने कथन के समर्थन में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

विचारणीय है कि तत्कालीन जिला पदाधिकारी, बांका के द्वारा दिनांक– 26.06.2007 को इस केन्द्र के साथ अन्य केन्द्रों के चयनित सेविका एवं सहायिका का चयन रद्द किया गया था तो किन परिस्थितियों में यशोदा कुमारी के आंगनवाड़ी से संबंधित पासबुक को दिनांक– 20.07.2007 को खुलवाया गया एवं उसमें सरकारी राशि स्थानान्तरित की गई जबकि यशोदा कुमारी आंगनवाड़ी सेविका में चयन दिनांक– 17.12.2014 को चयनित हुई है। पासबुक की छाया–प्रति से आरोप की सम्पुष्टि होती है एवं चयन के संबंध में भी अपीलार्थी द्वारा उठाई गई आपत्ति से संदेह पैदा होता है।

अपीलार्थी ने यह आपति भी दर्ज किया है कि इन तथ्यों को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बांका के समक्ष रखा गया था परन्तु कोई विचार नहीं किया गया।

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बांका के आदेश ज्ञापांक– 913 दिनांक– 17.07.2015 में इस संबंध में कोई चर्चा नहीं है।

अतः विचारोपरांत जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बांका के आदेश को निरस्त करते हुए मामला रिमांड किया जाता है कि अपीलार्थी के आरोपों की जांच कर चयन के समय प्रभावी मार्गदर्शिका के आलोक में उभय–पक्ष की पुनः सुनवाई कर युक्तियुक्त आदेश पारित करेंगे।

उक्त के आलोक में वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित

5.8.16

जिला पदाधिकारी,
बांका।

5.8.16

जिला पदाधिकारी,
बांका।